Email : romuzaffarnagar@uppcb.in
दूरभाष : 0131–2436493
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR
6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० / Ref. No. 1156/OA No-329/Pradeep Kumar/2022 दिनांक / Dated 25-11-2022

To,

The Registrar
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Sub.- Compliance to the direction issued on 03.08.2022 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 329/2022 Pradeep Kumar Vs. Central Pollution Control Board & Others

Sir,

With reference to the subject mentioned above kindly find enclosed herewith the Report in compliance of the order issued on 03.08.2022 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 329/2022 Pradeep Kumar Vs. Central Pollution Control Board & Others.

Encl. : As above.

Yours faithfully

(Ankit Singh)
Regional Officer

Copy to :

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Chief Environmental Officer (Circle-3), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

D/Neeraj Mittal/Letter 2022 New1

INSPECTION REPORT OF UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD (UPPCB) OF (1) M/S. NAVBHARAT BRICK FIELD, VILL. BAMNOLI, UNCHA GAON, BLOCK KANDHLA, DISTT. SHAMLI (2) M/S SHIV BRICK FIELD (FORMERLY M/S CHAUDHARY BRICK FIELD), VILL. ASADPUR JIDANA, BLOCK KANDHLA, DISTT. SHAMLI IN COMPLIANCE TO HON'BLE NGT ORDER DATED 03.08.2022 IN THE MATTER OF PRADEEP KUMAR VS. CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD & OTHERS (ORIGINAL APPLICATION NO. 329/2022)

1.0 BACKGROUND :

- In the matter of Pradeep Kumar Vs. Central Pollution Control Board & Others (O.A No. 329/2022), the Hon'ble NGT Vide order dated 11.05.2022 sought a factual and action taken report which may inter alia include compliance of notification of MoEF&CC dated 22.02.2022 and the order of Hon'ble Supreme Court of India dated 07.03.2022 in Civil Appeal Diary No. 18213/2021 Title- NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Others from the UPPCB and District Administration with reference to the violation alleged in Grievance of the applicant in said application. In compliance of above direction joint committee visited the questioned Brick Kilns on Dated 02.06.2022 and submitted joint committee report before the Hon'ble NGT vide Regional Office letter Dated 30.07.2022.

  In continuation the Hon'ble NGT via order Dated 03.08.2022 directed to State PCB to take appropriate remedial action including closure of the brick kilns,imposition and realization of the environmental compensation and prosecution of the proprietors by following due process of law and submit further Action Taken Report within two months.

2.0 ORDERS PASSED BY THE HON'BLE NGT ON DATED 03.08.2022

The Hon'ble NGT directed as follows :

> ***"4.*** *We have gone through the report. In the report it has been mentioned that both the brick kilns are not complying with environmental laws/norms. M/s Navbharat Brick Field, Village Bamnoli (Uncha Gaon), Block Kandhla, District Shamli was found operational despite closure order dated 31.05.2019 issued by UPPCB. Even though environmental compensation of Rs. 406250/- was imposed on above said brick kiln vide order dated 21.07.2019 but no effective steps appear to have been taken for recovery of the same. In the report of the Joint Committee, it has been mentioned that recommendations have been made by Regional*

Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) to State Pollution Control Board for imposition of environmental compensation of Rs. 6,87,500/- each on both the brick kilns. In the report, it has also been mentioned that the Joint Committee sealed ID fan and filled the firing chamber with water so that operation of the brick kiln may be stopped. The State PCB would have taken proper measures for compliance with the environmental laws/norms rather than filling firing chamber with water. It also appears that no effective action has been taken by State PCB against the brick kilns for violations of the rules, regulations and environmental norms in compliance with the directions issued by this Tribunal and also directions issued by Hon'ble Supreme Court and the brick kilns have been allowed to operate illegally without requisite compliance. The State PCB is directed to take appropriate remedial action including closure of the brick kilns, imposition and realization of the environmental compensation and prosecution of the proprietors by following due process of law and submit further Action Taken Report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF"

3.0 INSPECTION OF M/s NAVBHARAT BRICK FIELD, VILL. BAMNOLI (UNCHA GAON), BLOCK KANDHLA, DISTT. SHAMLI

In compliance to said orders of the Hon'ble NGT dated 03.08.2022, UPPCB officials visited the Brick Kiln on dated 15.09.2022.

A: General Information : M/s Navbharat Brick Field, Vill. Bamnoli (Uncha Gaon), Block Kandhla, District Shamli

1.	Date of Inspection:	**15.09.2022**
2.	Name of the unit with complete postal address	M/s Navbharat Brick Field, Vill. Bamnoli (Uncha Gaon), Block Kandhla, District Shamli
3.	Geo Co-ordinates Latitude and longitude (in Decimal format only)	Latitude – 29.351518 Longitude- 77.234117
4.	Year of commissioning	2010
5.	Production Capacity	Red Bricks 9 Lac Nos. per cycle
6.	Raw Material	Sand, Soil and Water
7.	Consent status & its Validity with date a. Air Consent b. Water consent	a) Air Consent valid up to 31.12.2017 b) Water consent valid up to 31.12.2017 **(Annexure-1)**

8.	Operational status during visit	Not Operational
9.	Water Consumption	As per Brick Kiln representative : Domestic – 2 KLD Process – 5 KLD
10.	Effluent Generation	Domestic – 1.5 KLD Industrial – 0.0 KLD
11.	Stack Height	30 M. high from ground level
12.	Zig-Zag Status (Rectangular shape/Zig-Zag brick setting/ID Fan	Rectangular in Shape, ID Fan installed Brick setting not found in Zig-Zag pattern
13.	Fuel used	Wood & Coal
14.	Kiln distance from habitation (>0.8 km), Orchards (>0.8 km), Existing brick kiln(s) (>1 km)	Vill. Uncha Gaon Distance 650 M. Existing Brick Kiln Distance 730 M.
15.	Fugitive Dust emission control measures	Not found
16.	In-house utilization of ash in brick making	No
17.	Necessary approvals for extracting soil	Yes
18.	Paving of Roads	No

Compliance Status of Brick Kiln regarding Hon'ble NGT order dated 03.08.2022

19.	Closure of Brick Kiln	As mentioned by the Joint Committee in the report dated 30.07.2022 that brick kiln was found operational without having valid consent during inspection by UPPCB on dated 27.04.2019 due to which on recommendation by the Regional Office, UPPCB HO issued closure order against the brick kiln on dated 31.05.2019 which is effective till now. Further, environmental compensation of Rs. 4,06,250/- was also being imposed against the brick kiln. In compliance of Hon'ble NGT order dated 11.05.2022 constituted joint committee visited brick kiln on dated 02.06.2022. During visit brick kiln again found operational in violation of the closure direction. Hence, joint committee sealed the I.D. Fan of the brick kiln and closed the operation. Further, Hon'ble NGT order dated 03.08.2022, UPPCB Officials visited on dated 15.09.2022. During visit brick kiln found non-operational. In compliance of Hon'ble NGT order for ensuring not to operate brick kiln, all the passages for Raw/Red bricks entering/exiting were sealed

		during the visit. For the same, photographs of sealing and sealing report are attached as **Annexure-2.**
20.	Imposition & Realization of Environmental Compensation	Environmental Compensation of Rs. 4,06,250/- has been imposed against the brick kiln vide H.O. letter dated 21.11.2019 **(Annexure-3)** As per the office record, no information is available regarding deposition of Environmental Compensation. Hence, recommendation for recovery the same as Land Revenue has sent to H.O. Lucknow vide letter dated 10.06.2022 **(Annexure-4)**. In continuation, H.O. Lucknow requested to D.M. Shamli for recovery of Environmental Compensation Rs. 4,06,250/- as Land Revenue vide letter dated 10.08.2022 **(Annexure-5)**. In compliance of Hon'ble NGT order dated 11.05.2022, during joint committee visit, brick kiln found operational due to which, recommendation for imposition of environmental compensation of Rs. 6,87,500/- sent to UPPCB Head Office Lucknow vide letter dated 10.06.2022 **(Annexure-6)**. In continuation H.O. Lucknow imposed environmental compensation of Rs. 6,87,500/- vide letter dated 26.08.2022 **(Annexure-7)**. As per the official record, no information is available regarding the deposition of environmental compensation. Hence, recommendation for recovery as land revenue has been sent to H.O. UPPCB, Lucknow vide office letter dated 14.11.2022 **(Annexure-8).** In continuation, H.O. Lucknow requested to D.M. Shamli for recovery of Environmental Compensation of Rs. 10,93,750/- (Rs. 4,06,250 + 6,87,500) as Land Revenue vide letter dated 22.11.2022 **(Annexure-9)**.
21.	Prosecution of the proprietors	In compliance of Hon'ble NGT order dated 11.05.2022 during joint committee visit, brick kiln found operational violating the closure direction issued by H.O. letter dated 31.05.2019. Hence, UPPCB H.O. issued the notice of inspection for prosecution of brick kiln for authorized officer from Regional Office, Muzaffarnagar. During visit on dated 15.09.2022, original copy of notice of inspection served to Sh. Arshad, proprietor of Brick Kiln. Recommendation for prosecution u/s 39 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 as amended has been sent to H.O. UPPCB Lucknow vide office letter dated 21.09.2022 **(Annexure-10)**. Prosecution is under consideration at H.O. level.

4.0 INSPECTION OF M/s SHIV BRICK FIELD (FORMERLY M/s. CHAUDHARY BRICK FIELD), VILL. ASADPUR JIDANA, BLOCK KANDHLA, DISTRICT SHAMLI.

In compliance to said orders of the Hon'ble NGT dated 03.08.2022, UPPCB officials visited the Brick Kiln on dated 15.09.2022.

A: General Information : M/s Shiv Brick Field (Formerly M/s. Chaudhary Brick Field), Vill. Asadpur Jidana, Block Kandhla, District Shamli.

1.	Date of Inspection	**15.09.2022**
2.	Name of the unit with complete postal address	M/s Shiv Brick Field (Formerly M/s. Chaudhary Brick Field), Vill. Asadpur Jidana, Block Kandhla, District Shamli.
3.	Geo Co-ordinates Latitude and longitude (in Decimal format only)	Latitude – 29.345844 Longitude- 77.237975
4.	Year of commissioning	2010
5.	Production Capacity	Red Bricks 8 Lac Nos. per cycle
6.	Raw Material	Sand, Soil and Water
7.	Consent status & its Validity with date a. Air Consent b. Water consent	a) Air Consent valid up to 31.07.2025 b) Water consent valid up to 31.07.2025 **(Annexure-11)**
8.	Operational status during visit	Non Operational
9.	Water Consumption	As per Brick Kiln representative : Domestic – 2 KLD Process – 5 KLD
10.	Effluent Generation	Domestic – 1.5 KLD Industrial – 0.0 KLD
11.	Stack Height	30 M. high from ground level
12.	Zig-Zag Status (Rectangular shape/Zig-Zag brick setting/ID Fan	Rectangular in Shape, ID Fan installed Brick setting found in Zig-Zag pattern
13.	Fuel used	Wood & Coal
14.	Kiln distance from habitation (>0.8 km), Orchards (>0.8 km), Existing brick kiln(s) (>1 km)	Vill. Asadpur Jidana Distance 500 M. Existing Brick Kiln Distance 730 M.
15.	Fugitive Dust emission control measures	Not found
16.	In-house utilization of ash in brick making	No
17.	Necessary approvals for extracting soil	Yes
18.	Paving of Roads	No

Compliance Status of Brick Kiln regarding Hon'ble NGT order dated 03.08.2022

19.	Closure of Brick Kiln	In compliance of Hon'ble NGT order dated 11.05.2022 constituted joint committee visited brick kiln on dated 02.06.2022. During visit brick kiln again found operational in violation of notification of MoEF&CC dated 22.02.2022 and the order of Hon'ble Supreme Court of India dated 07.03.22 in Civil Appeal Diary No. 18213/2021 titled as NCR Brick Kiln Association Vs Central Pollution Control Board & Others. Hence, joint committee sealed the I.D. Fan of brick kiln for closure of operation. Further, Hon'ble NGT order dated 03.08.2022, UPPCB Officials visited on dated 15.09.2022. During visit brick kiln found non-operational. In compliance of Hon'ble NGT order for ensuring not to operate brick kiln, all the passages for Raw/Red bricks entering/exiting were sealed during the visit. For the same, photographs of sealing and sealing report are attached as **Annexure-12.**
20.	Imposition & Realization of Environmental Compensation	In compliance of Hon'ble NGT order dated 11.05.2022, during joint committee visit, brick kiln found operational due to which, recommendation for imposition of environmental compensation of Rs. 6,87,500/- sent to UPPCB Head Office Lucknow vide letter dated 10.06.2022 **(Annexure-13)**. In continuation H.O. Lucknow imposed environmental compensation of Rs. 6,87,500/- vide letter dated 16.09.2022 **(Annexure-14)**. As per the official record, no information is available regarding the deposition of environmental compensation. Hence, recommendation for recovery as land revenue has been sent to H.O. UPPCB, Lucknow vide office letter dated 14.11.2022 **(Annexure-15).** In continuation, H.O. Lucknow requested to D.M. Shamli for recovery of Environmental Compensation of Rs. 6,87,500/- as Land Revenue vide letter dated 22.11.2022 **(Annexure-16)**.

<u>INSPECTION TEAM</u>

(Vipul Kumar)
A.E.E., UPPCB, Muzaffarnagar

(Imraan Ali)
A.E.E., UPPCB, Muzaffarnagar

(Ankit Singh)
Regional Officer
UPPCB, Muzaffarnagar

489 Letters With
Pad

Annexure -01

दूरभाष एवं फैक्स : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर–251001

संदर्भ सं० / Ref. No. 263/C/Brick/2014

दिनाँक / Dated 29-5-14

सेवा में,

मै0 जय भारत ब्रिक फील्ड,
ग्राम बावनौली (ऊँचा गॉव), कॉधला
शामली।

विषयः– वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अर्न्तगत सहमति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 1005/ब्रिक/जय भारत ब्रिक फील्ड़/2010 दिनांक 16.07.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र द्वारा उद्योग को वर्ष 2014 तक सशर्त सहमति वायु प्रदान की गई है। उद्योग द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 21.05.14 के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि वर्ष 2017 तक शुल्क जमा किया गया है तथा सहमति की वैधता वर्ष 2017 तक बढा दी जाये।

उपरोक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उद्योग को पूर्व निर्गत सहमति वायु पत्रांक संख्या 1005/ब्रिक/जय भारत ब्रिक फील्ड़/2010 दिनांक 16.07.2010 की वैधता अवधि दिनांक 31.12.2017 तक बढाई जाती है। उक्त सहमति आदेश की शेष शर्ते यथावत लागू रहेगी।

भवदीय

(इं0 विवेक राय)
क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure -02

सीलिंग के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

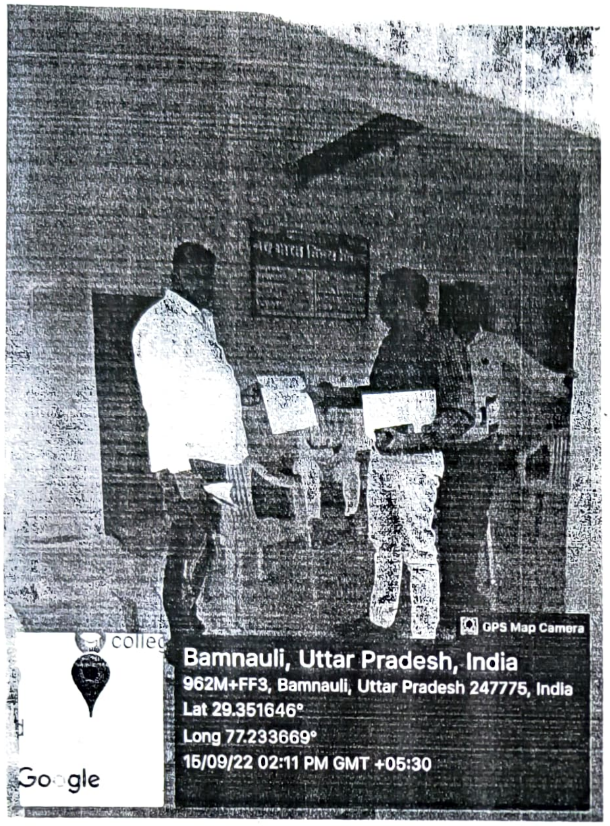

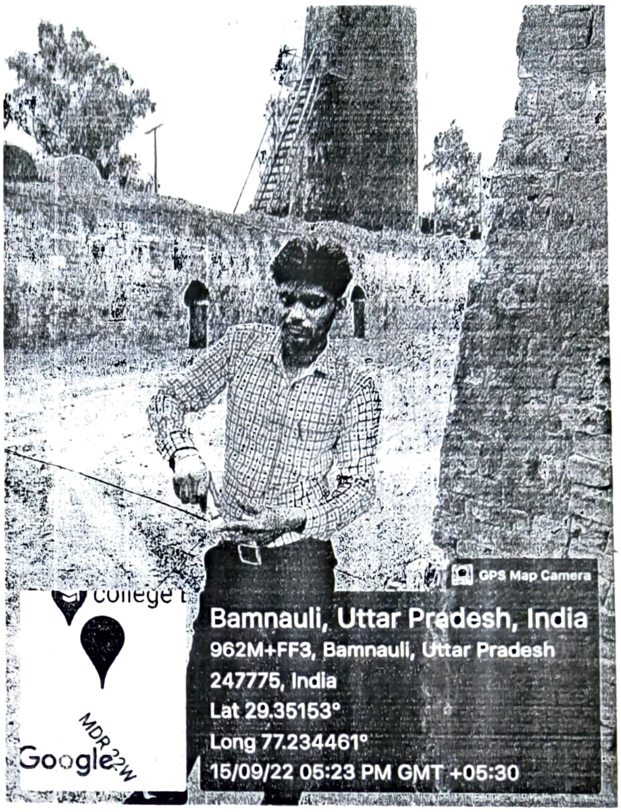

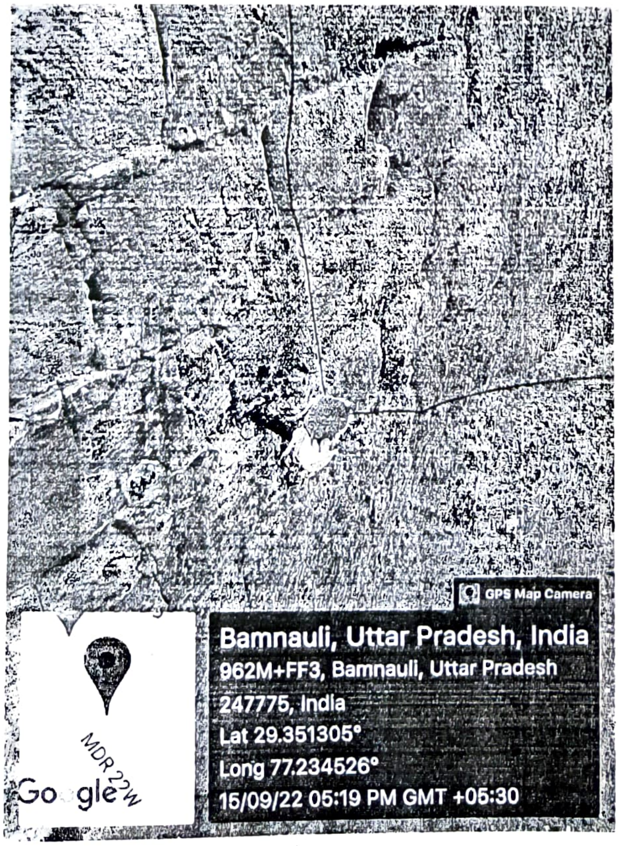

मै० नव भारत बिल्डिंग मटीरियल ग्राम-ग्राम पैली ऊँचा गांव ब्लॉक करवला जनपद शामली के विरुद्ध कोई अनुज्ञापत्र न की पत्र संख्या H-80580/सी-3/वायु-373/मु०नगर/2022 दिनांक 2-9-2022 के द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में दिनांक 15-9-22 को अधोहस्ताक्षर कर्ताओं द्वारा ईंट भट्टे का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय ईंट भट्टा संचालनरत नहीं पाया गया भविष्य में ईंट भट्टे का संचालन न किये जाने के उद्देश्य से ईंट भट्टे की सभी चिमनियां (कच्ची ईंटों को भट्टे में भरने के रास्ते/गेट) को ईंट भट्टा प्रतिनिधि श्री अरशद की उपस्थिति में सील कर दिया गया।

15.09.2022
इसरार अली
सहा० पर्या० अभि०

15-9-22
सर्वेश कुमार
प्रयोगशाला सहायक

अरशद (प्रोपराइटर)
15/9/2022
(नव भारत बिल्डिंग मटी.)
9639902000

Annexure-03

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं... 44054 ....सी-3/वायु-373/मु०नगर/2019

Date .21/11/2019.....

Regd. 4/1/20

सेवा मे,

मै० नवभारत ब्रिक फील्ड,
ग्राम-बामनौली, ऊचा गांव, ब्लॉक-कांधला,
जिला-शामली।

विषयः- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। मा० एन०जी०टी० में ओ०ए० सं० 456/2019, विनीत कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्स में दिनांक 04.09.2019 द्वारा नियत विरूद्ध जनपद शामली में अवैध रुप से संचालित ईंट भट्ठों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षातिपूर्ति किये जाने के निर्देश पारित किये गये हैं। ईंट भट्ठे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, मु०नगर द्वारा पूर्व में दिनॉक 27.04.2019 को किया गया था। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया था। ईंट भट्ठे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अन्तर्गत बोर्ड के पत्र दिनांक 31.05.2019 द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है। ईंट भट्ठे द्वारा जारी बन्दी आदेश एवं बिना सहमति प्राप्त किये ईंट भट्ठे का संचालन किया जाना मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2019 का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० सं० 456/2019 विनीत कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्स में दिनांक 04.09.2019 के अनुक्रम में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सी०पी०सी०बी० की मैथाडोलॉजी के अनुसार निरीक्षण दिनॉक 27.04.2019 के आधार तिथि मानते हुए सामान्यतः संचालन अवधि दिनांक 30.06.2019 तक (वर्षा ऋतु आरम्भ होने के कारण) कुल 65 दिनों का उल्लंघन मानते हुए ईंट भट्ठा मैं० नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम-बामनौली, ऊचा गांव, ब्लॉक-कांधला, जिला-शामली के विरूद्ध रु० 6250/- प्रतिदिन की दर से कुल रु0 4,06,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रुप में अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है। तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आप इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड-UBIN0570150 मे तत्काल जमा करें।

उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित समयावधि में जमा करने का साक्ष्य इस पत्र प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(एन०के०चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपिः- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईंट भट्ठे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली तत्काल कराया जाना सुनिश्चित करें।

21.11.19
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676

Annexure - 04

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० / Ref. No. 274/C/Brick Shamli/2022

दिनांक / Dated 10-6-2022

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषयः–ईट भट्टा मै0 नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम बामनौली ऊंचा गांव, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या 18213/2021 एनसीआर ब्रिक किल्न एसोसिएशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 329/2022 प्रदीप कुमार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एंड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 11.02.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 02.06.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है।

निरीक्षण आख्या में दिये गये तथ्यों के आधार पर ईंट भट्टा मै0 नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम बामनौली ऊंचा गांव, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली के विरूद्ध रू0 6,87,500/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 21.11.2019 के द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 4,06,250/– की वसूली हेतु जिलाधिकारी शामली को वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने तथा ईट भट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 39 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

ईंट भट्टा मै0 नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम बामनौली ऊंचा गांव, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली की निरीक्षण आख्या।

मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या 18213/2021 एनसीआर ब्रिक किल्न एसोसिएशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 329/2022 प्रदीप कुमार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एंड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 11.02.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 02.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री अरसद पुत्र श्री रियाज हसन उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय ईंट भट्टा उत्पादनरत् पाया गया। निरीक्षण एवं वार्ता से निम्न तथ्य प्रकाश में आये :–

1– कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्टा वर्ष 2010 से ग्राम बामनौली ऊंचा गांव, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली में स्थापित एवं संचालित है। ईंट भट्टे को राज्य बोर्ड से वर्ष 2017 तक की अवधि हेतु सशर्त जल एवं वायु सहमति निर्गत थी। वर्तमान में ईंट भट्टा राज्य बोर्ड सहमति प्राप्त किये बिना संचालित किया जा रहा है।

2– ईंट भट्टे में कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर लाल ईंटों का उत्पादन किया जाता है। ईंट भट्टे की उत्पादन क्षमता 9 लाख ईंट प्रति चक्कर है।

3– ईंट भट्टा आयताकार शेप में निर्मित है। निरीक्षण के समय ईंट भट्टे में जिगजैग ब्रिक सैटिंग के स्थान पर सादी भराई पायी गयी।

4– ईंट भट्टे में ईंधन के रूप में लकड़ी एवं कोयला का प्रयोग किया जाता पाया गया।

5– पूर्व में ईंट भट्टा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाये जाने के कारण बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच36726/सी–3/वायु–373/मु0नगर/2019 दिनांक 31.05.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया था, जो वर्तमान में प्रभावी है। बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच44054/सी–3/वायु–373/मु0नगर/2019 दिनांक 21.11.2019 के द्वारा रू0 4,06,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा किये जाने की कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में धारित नहीं है।

6– बोर्ड मुख्यालय से बन्दी आदेश निर्गत होने के उपरान्त संचालित पाये जाने पर निरीक्षण के समय संयुक्त समिति द्वारा ईट भट्ठे के आई0डी0 फैन को सील कर दिया गया तथा भट्ठे पर पानी डलवाकर संचालन बन्द करा दिया गया। बन्दी की आख्या संलग्न है।

7– निरीक्षण के समय उपस्थित ईंट भट्टा प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्टे का संचालन दिनांक 09.04.2022 से प्रारम्भ किया गया है। ईंट भट्टा राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेशों का अनुपालन न करते हुए संचालित किया जा रहा है, जो मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् ईंट भट्टे के विरूद्ध संचालन की दिनांक 09.04.2022 से वर्तमान निरीक्षण दिनांक 02.06.2022 तक कुल 55 दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरूपित गाइडलाइन्स के

(A.E.E) क्रमशः ...2....

अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :–

EC = PIxNxRxSxLF

= 50 x 55 x 500 x 0.5 x 1

= Rs.6,87,500/-

अतः उपरोक्त गणना के आधार पर ईंट भट्टा मै0 नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम बामनौली ऊंचा गांव, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली के विरूद्ध रू0 6,87,500/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 21.11.2019 के द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 4,06,250/– की वसूली हेतु जिलाधिकारी शामली को वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने तथा ईंट भट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 39 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

10-6-22
(सर्वेश कुमार)
प्रयो0सहा0

10.06.2022
(इमरान अली)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-05

29-8-22

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सन्दर्भ संख्या H79704 / सी–3 / वायु–373 / मु0नगर / 2022 दिनांक 18-8-22

पंजीकृत

सेवा में,

जिलाधिकारी,
शामली।

विषय–ईंट भट्ठा मै0 नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम बामनौली ऊँचा गांव, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित अर्थदण्ड को भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 456 / 2019, विनीत कुमार बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड आदर्स में पारित आदेश दिनॉक 04.09.2019 द्वारा नियम विरूद्ध जनपद शामली में अवैध रूप संचालित ईंट भट्ठों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश पारित किये गये थे। ईट भट्ठे का पूर्व में क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनॉक 27.04.2019 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया था। तदोपरान्त ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत बोर्ड के पत्र संख्या एच 36726 / सी–3 / वायु–373 / मु0नगर / 2019, दिनॉक 31.05.2019 द्वारा बंदी आदेश जारी किया गया था एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 456 / 2019, विनीत कुमार बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनॉक 04.09.2019 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र संख्या एच 44054 / सी–3 / वायु–373 / मु0नगर / 2019, दिनॉक 21.11.2019 द्वारा उल्लंघनकारी 65 दिवसों हेतु रू0–4,06,250 / – का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया गया था (प्रतिलिपि संलग्न)। ईंट भट्ठे द्वारा उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि अभिलेखानुसार बोर्ड में जमा नहीं की गयी है। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या 18213 / 2021 एनसीआर ब्रिक किल्न एसोसिएशन बनाम् केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 08.04.2022 के अनुपालन एवं मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 329 / 2022 प्रदीप कुमार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनॉक 11.02.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 02.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे में जिगजैग ब्रिक सैटिंग के स्थान पर सादी भराई पायी गयी।

अतः आपसे अनुरोध है कि संदर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित अर्थदण्ड रू0–04,06,250 / – (रू0 चार लाख छः हजार दो सौ पचास मात्र) की वसूली भू–राजस्व के बकाये की भाँति कराते हुए उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, वैभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड–UBIN0570150 में जमा कराकर बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

Imp/NGT matter
AEE(I)
dealt

.........2 / –

टी0सी0–12,वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010

312215

Annexure -06

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in
दूरभाष : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० Ref. No. 274/C/Brick/Shamli/2022

दिनांक Dated 10-6-2022

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषयः–ईट भट्टा मै0 नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम बामनौली ऊंचा गांव, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या 18213/2021 एनसीआर ब्रिक किल्न एसोसिएशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 329/2022 प्रदीप कुमार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एंड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 11.02.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 02.06.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है।

निरीक्षण आख्या में दिये गये तथ्यों के आधार पर ईंट भट्टा मै0 नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम बामनौली ऊंचा गांव, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली के विरूद्ध रू0 6,87,500/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 21.11.2019 के द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 4,06,250/– की वसूली हेतु जिलाधिकारी शामली को वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने तथा ईंट भट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 39 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

ईट भट्टा मै0 नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम बामनौली ऊंचा गांव, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली की निरीक्षण आख्या।

मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या 18213/2021 एनसीआर ब्रिक किल्न एसोसिएशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 329/2022 प्रदीप कुमार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एंड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 11.02.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 02.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री अरसद पुत्र श्री रियाज हसन उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय ईंट भट्टा उत्पादनरत् पाया गया। निरीक्षण एवं वार्ता से निम्न तथ्य प्रकाश में आये :–

1– कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्टा वर्ष 2010 से ग्राम बामनौली ऊंचा गांव, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली में स्थापित एवं संचालित है। ईंट भट्टे को राज्य बोर्ड से वर्ष 2017 तक की अवधि हेतु सशर्त जल एवं वायु सहमति निर्गत थी। वर्तमान में ईंट भट्टा राज्य बोर्ड सहमति प्राप्त किये बिना संचालित किया जा रहा है।

2– ईंट भट्टे में कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर लाल ईंटों का उत्पादन किया जाता है। ईंट भट्टे की उत्पादन क्षमता 9 लाख ईंट प्रति चक्कर है।

3– ईंट भट्टा आयताकार शेप में निर्मित है। निरीक्षण के समय ईंट भट्टे में जिगजैग ब्रिक सैटिंग के स्थान पर सादी भराई पायी गयी।

4– ईंट भट्टे में ईंधन के रूप में लकड़ी एवं कोयला का प्रयोग किया जाता पाया गया।

5– पूर्व में ईंट भट्टा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाये जाने के कारण बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच36726/सी–3/वायु–373/मु0नगर/2019 दिनांक 31.05.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया था, जो वर्तमान में प्रभावी है। बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच44054/सी–3/वायु–373/मु0नगर/2019 दिनांक 21.11.2019 के द्वारा रू0 4,06,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा किये जाने की कोई सूचना कार्यालय अभिलेखों में धारित नहीं है।

6– बोर्ड मुख्यालय से बन्दी आदेश निर्गत होने के उपरान्त संचालित पाये जाने पर निरीक्षण के समय संयुक्त समिति द्वारा ईट भट्ठे के आई0डी0 फैन को सील कर दिया गया तथा भट्ठे पर पानी डलवाकर संचालन बन्द करा दिया गया। बन्दी की आख्या संलग्न है।

7– निरीक्षण के समय उपस्थित ईंट भट्टा प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्टे का संचालन दिनांक 09.04.2022 से प्रारम्भ किया गया है। ईंट भट्टा राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेशों का अनुपालन न करते हुए संचालित किया जा रहा है, जो मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् ईंट भट्टे के विरूद्ध संचालन की दिनांक 09.04.2022 से वर्तमान निरीक्षण दिनांक 02.06.2022 तक कुल 55 दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरूपित गाइडलाइन्स के

(A.E.E)

क्रमशः ...2....

अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :—

EC = PIxNxRxSxLF

= 50 x 55 x 500 x 0.5 x 1

= Rs.6,87,500/-

अतः उपरोक्त गणना के आधार पर ईंट भट्टा मै0 नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम बामनौली ऊंचा गांव, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली के विरूद्ध रू0 6,87,500/— पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 21.11.2019 के द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 4,06,250/— कीं वसूली हेतु जिलाधिकारी शामली को वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने तथा ईंट भट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 39 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

10-6-22
(सर्वेश कुमार)
प्रयो0सहा0

10.06.2022
(इमरान अली)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-07

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H80256 / सी–3 / वायु–373 / मु0नगर / 2022 दिनांक 26-7-22

सेवा में, पंजीकृत

मै0 नवभारत ब्रिक फील्ड,
ग्राम बामनौली ऊँचा गांव, ब्लॉक कांधला,
जनपद शामली।

विषयः– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ईंट भट्ठा मै0 नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम बामनौली ऊँचा गांव, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली का मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या 18213 / 2021 एनसीआर ब्रिक किल्न एसोसिएशन बनाम् केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनाँक 08.04.2022 के अनुपालन एवं मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 329 / 2022 प्रदीप कुमार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनॉक 11.02.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 02.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे में जिगजैग ब्रिक सैटिंग के स्थान पर सादी भराई पायी गयी। ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत बोर्ड के पत्र संख्या एच 36726 / सी–3 / वायु–373 / मु0नगर / 2019, दिनॉक 31.05.2019 द्वारा बंदी आदेश जारी किया गया था, जिसका उल्लंघन कर ईंट भट्ठे का संचालन ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के अनुसार दिनॉक 09.04.2022 से प्रारम्भ किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ईंट भट्ठे के विरूद्ध संचालन दिनॉक 09.04.2022 से वर्तमान निरीक्षण दिनॉक 02.06.2022 तक कुल 55 दिवसों की अवधि हेतु रू0–6,87,500 / – की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों एवं क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में सी0पी0सी0बी0 द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलाजी के अनुसार सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त ईंट भट्ठा मै0 नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम बामनौली ऊँचा गांव, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली पर संचालन दिनॉक 09.04.2022 से वर्तमान निरीक्षण दिनॉक 02.06.2022 तक तक की अवधि के मध्य अर्थात कुल 55 दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू0–12,500 / – प्रतिदिन की दर से कुल रू0–687500 / – की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, वैभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड– UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें अन्यथा की दशा में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की भू–राजस्व की भाँति वसूली कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित समयावधि में जमा करने का साक्ष्य इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

AEE (I)

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईंट भट्ठे पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

114

Annexure-08

दूरभाष : 0131–2436493

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० / Ref. No. 1075/C/Brick/MZR/2022

दिनांक / Dated 14.11.2022

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– ईट भट्टा मै0 नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम बामनौली ऊंचा गांव, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 एनजीटी में योजित ओ0ए0 संख्या 329/2022 प्रदीप कुमार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 02.06.2022 को किये गये निरीक्षण के समय ईट भट्टा मै0 नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम बामनौली ऊंचा गांव, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश दिनांक 31.05.2019 का उल्लंघन कर संचालित किया जाता पाया गया था। तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय की संस्तुति के आधार पर ईंट भट्टे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच80256/सी–3/वायु–373/मु0नगर/2022 दिनांक 26.08.2022 द्वारा रूपये 6,87,500/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी। क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखानुसार ईट भट्टा द्वारा वर्तमान तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा नहीं की गयी है। प्रकरण मा0 एनजीटी में विचाराधीन है एवं वाद में अग्रिम तिथि 28.11.2022 नियत है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में मा0 एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2022 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु ईंट भट्टा मै0 नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम बामनौली ऊंचा गांव, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 6,87,500/– को भू–राजस्व की भांति वसूल किये जाने हेतु जिलाधिकारी शामली को पत्र प्रेषित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-09

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H84478 /सी–3/ वायु 373 / 22 दिनांक: 22 /11/2022

सेवा में, पंजीकृत

जिलाधिकारी,
शामली।

विषयः ईंट भट्ठा मैसर्स नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम–बामनौली ऊंचागॉव, ब्लाक–कांधला, जनपद–शामली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित अर्थदण्ड को भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूली किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संबंध में अवगत कराना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या–329/2022 प्रदीप कुमार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–11.05.2022 द्वारा नियम विरुद्ध जनपद–शामली में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश पारित किये गये थे। ईंट भट्ठे का पूर्व में क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–27.04.2019 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया था। तदोपरान्त ईंट भट्ठे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31–ए के अन्तर्गत बोर्ड के पत्र संख्या–एच 36726/सी–3/वायु–373/मु.नगर/2019, दिनांक–31.05.2019 द्वारा बंदी आदेश जारी किया गया था एवं मा. एन.जी.टी. द्वारा ओ.ए. संख्या–456/2019 विनीत कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–04.09.2019 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र संख्या–एच 44054/सी–3/वायु–373/मु.नगर/2019, दिनांक–21.11.2019 द्वारा उल्लंघनकारी 65 दिवसों हेतु रुपये–4,06,250/– का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया गया था (संलग्नक–1)। ईंट भट्ठे द्वारा उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि अभिलेखानुसार बोर्ड में जमा नहीं की गयी है। मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या–18213/2021 एन.सी.आर. ब्रिक क्लिन एसोसिएशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक–08.04.2022 के अनुपालन एवं मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या–329/2022 प्रदीप कुमार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–11.05.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक–02.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे में जिगजैग ब्रिक सेटिंग के स्थान पर सादी भराई पायी गयी। तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच 79704/सी–3/वायु–373/मु.नगर/2019, दिनांक–10.08.2022 (संलग्नक–2) द्वारा संदर्भित ईंट के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित अर्थदण्ड रुपये–4,06,205/– (रुपये चार लाख मात्र) की वसूली भू–राजस्व के बकाये की भांति कराने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया परन्तु वर्तमान तक उक्त अर्थदण्ड की वसूली की सूचना बोर्ड में प्राप्त नहीं है।

तत्क्रम में संदर्भित ईंट भट्ठे के विरुद्ध मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या–18213/2021 एन.सी.आर. ब्रिक क्लिन एसोसिएशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक–08.04.2022 के अनुपालन एवं मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या–329/2022 प्रदीप कुमार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–11.05.2022 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र संख्या–एच 80256/सी–3/वायु–373/मु.नगर/2022, दिनांक–26.08.2022 द्वारा उल्लंघनकारी 55 दिवसों हेतु रुपये–6,87,500/– का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया गया था (संलग्नक–3)। ईंट भट्ठे द्वारा उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि अभिलेखानुसार बोर्ड में जमा नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संदर्भित ईंट भट्ठे के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित अर्थदण्ड रुपये–4,06,205/– एवं रुपये–6,87,500/– सहित कुल रुपये–10,93,750/– (रुपये दस लाख तिरान्वे हजार सात सौ पचास मात्र) की वसूली भू–राजस्व के बकाये की भांति कराते हुए उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, वैभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या–**701502010002104**, आई. एफ.एस.सी. कोड –**UBIN0570150** में जमा कराकर बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:
क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, शामली से समन्वय स्थापित कर वसूली संबंधी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Annexure - 10

दूरभाष : 0131–2436493

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6—बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर—251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० Ref No. 802/c/Brick/Shamli/2022

दिनांक Dated 21-09-2022

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—3)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय— ईंट भट्टा मै0 नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम बामनौली ऊंचा गांव, ब्लॉक कांधला, जिला शामली के संचालक के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्रांक एच80580 / सी–3 / वायु–373 / मु0नगर / 2022 दिनांक 02.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र में दिये गये आदेशानुसार ईंट भट्टा मै0 नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम बामनौली ऊंचा गांव, ब्लॉक कांधला, जिला शामली का निरीक्षण दिनांक 15.09.2022 को कराया गया तथा बोर्ड मुख्यालय से निर्गत सदस्य सचिव महोदय द्वारा हस्ताक्षरित Notice of Inspection की मूल प्रति श्री अरशद को प्राप्त करायी गयी तथा द्वितीय प्रति पर श्री अरशद द्वारा प्राप्ति के हस्ताक्षर किये गये, जो मूल रूप में पत्र के साथ संलग्न है।

उक्त ईंट भट्टा संचालक के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय की आख्या पत्र के साथ संलग्न है। संलग्न आख्या के आधार पर ईंट भट्टा मै0 नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम बामनौली ऊंचा गांव, ब्लॉक कांधला, जिला शामली (संचालक मौ0 अरशद पुत्र श्री रियाज हसन) के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 39 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

(A.E.P.)

ईंट भट्टा मै0 नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम बामनौली ऊंचा गांव, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने से पूर्व विधिक निरीक्षण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच80580 / सी–3 / वायु–373 / मु0नगर / 2022 दिनांक 02.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र में दिये गये आदेशानुसार अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ईंट भट्टे का निरीक्षण दिनांक 15.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री अरशद, प्रोपराइटर उपस्थित रहे। बोर्ड मुख्यालय से निर्गत सदस्य सचिव महोदय द्वारा हस्ताक्षरित Notice of Inspection की मूल प्रति श्री अरशद को प्राप्त करायी गयी तथा द्वितीय प्रति पर श्री अरशद द्वारा प्राप्ति के हस्ताक्षर किये गये, जो मूल रूप में संलग्न है। निरीक्षण के समय ईंट भट्टा संचालित नहीं पाया गया। निरीक्षण एवं वार्ता से निम्न तथ्य प्रकाश में आये :–

1– कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्टा वर्ष 2010 से ग्राम बामनौली ऊंचा गांव, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली में आयताकार शेप, इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट तकनीकी पर स्थापित है। ईंट भट्टे को राज्य बोर्ड से वर्ष 2017 तक की अवधि हेतु सशर्त जल एवं वायु सहमति निर्गत थी।

2– ईंट भट्टे मे कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर लाल ईंटों का उत्पादन किया जाता है। ईंट भट्टे की उत्पादन क्षमता 9 लाख ईंट प्रति चक्कर है।

3– पूर्व में ईंट भट्टा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाये जाने के कारण बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच36726 / सी–3 / वायु–373 / मु0नगर / 2019 दिनांक 31.05.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया था, जो वर्तमान में प्रभावी है। बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच44054 / सी–3 / वायु–373 / मु0नगर / 2019 दिनांक 21.11.2019 के द्वारा रू0 4,06,250 / – की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

अवगत कराना है कि उक्त ईंट भट्टे के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 329 / 2022 प्रदीप कुमार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण दिनांक 02.06.2022 को किया गया था। निरीक्षण के समय ईंट भट्टा मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या 18213 / 2021 एनसीआर ब्रिक किल्न एसोसिएशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.04.2022 एवं बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन कर संचालित पाया गया। उक्त के क्रम में ईंट भट्टे के विरूद्ध रू0 6,87,500 / – पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 21.11.2019 के द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 4,06,250 / – की वसूली हेतु जिलाधिकारी शामली को वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने तथा ईंट भट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 39 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति कार्यालय के पत्र संख्या 274 / सी / ब्रिक / शामली / 2022 दिनांक 10.06.2022 द्वारा बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी थी।

अग्रेतर, बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच79704 / सी–3 / वायु–373 / मु0नगर / 2022 दिनांक 10.08.2022, जो जिलाधिकारी शामली को सम्बोधित है, के द्वारा ईंट भट्टे के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 4,06,250 / – को भू–राजस्व की भांति वसूली कर बोर्ड के खाते में जमा किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है तथा बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच80256 / सी–3 / वायु–373 / मु0नगर / 2022 दिनांक 26.08.2022 द्वारा रूपये 6,87,500 / – पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वर्तमान तक जमा किये जाने की सूचना अप्राप्त है।

(A.E.B.)

क्रमशः ...2....

4– दिनांक 15.09.2022 को किये गये निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बन्द पाया गया। ईंट भट्टे का भविष्य में संचालन न किये जाने के उद्देश्य से ईंट भट्टे की सभी घंटियां (कच्ची ईंट भरने का रास्ता/गेट) को ईंट भट्टा प्रतिनिधि की उपस्थिति में सील किये गये। सीलिंग की आख्या एवं फोटोग्राफ संलग्न हैं।

5– ईंट भट्टा संचालक के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु वांछित सूचना निम्नवत् है :–

उत्तरदायी व्यक्ति	–	मौ0 अरशद पुत्र श्री रियाज हसन (प्रोपराइटर)
निवास का पता	–	ग्राम जहानपुरा, थाना कैराना, तहसील व ब्लॉक कैराना, जिला शामली
जी0एस0टी0 नं0	–	09BNTPA3533K1ZP
मोबाइल नं0	–	9639902000

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ईंट भट्टा मै0 नवभारत ब्रिक फील्ड, ग्राम बामनौली ऊंचा गांव, ब्लॉक कांधला, जिला शामली (संचालक मौ0 अरशद पुत्र श्री रियाज हसन) के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 39 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

21.9.22
(सर्वेश कुमार)
प्रयो0सहा0

21.09.2022
(इमरान अली)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
T.C. 12V, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR
LUCKNOW
FORM II
[See rule 10(2)]

NOTICE OF INSPECTION

Member Secretary

To,

M/s Navbharat Brick Field,
Village Bamnauli Uncha Gawn, Block Kandhla,

Distt. Shamli.

Take Notice that for the purpose of enquiry under section 21 the following officers of the State Board namely :-

Shri Imran Ali, A.E.E.

and the persons authorised by the Board to assist them shall inspect-

Any systems of your Industrial Plant.

Any other parts thereof or pertaining thereto under management/control of date ......15.09.2022......between ......14:00......Hours when all facilities requested by them for such inspection should be made available to them on the site. Take Notice that refusal or denial to above stated demand made under the functions of the State Board shall amount to obstruction punishable under section-
37(1) of the Act.

Member Secretary
Ajay Kumar Sharma
Member Secretary
UP Pollution Control Board

Copy to:

M/S Nav Bharat Brick Field
PROP.
15.9-2022

Annexure - 11

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

CONSENT ORDER

Ref No. - 142334/UPPCB/Circle3(UPPCBHO)/CTO/air/SHAMLI/2021 **Dated : 22/12/2021**

To ,

Shri VINOD KUMAR
M/s SHIV BRICK FIELD
Vill. Asadpur Jidana, Block Kandhla, Shamli ,SHAMLI,247775
SHAMLI

Sub : Consent under section 21/22 of the Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 (as amended) to M/s. SHIV BRICK FIELD

Reference Application No. 14118469 Dated : 22/12/2021

1. With reference to the application for consent for emission of air pollutants from the plant of M/s SHIV BRICK FIELD. under Air Act 1981. It is being authorised for said emissions, as per the standards, in environment, by the Board as per enclosed conditions .
2. This consent is valid for the period from 21/11/2021 to 31/07/2025 .
3. Inspite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 21 (6) of the Air (Previntion and Controt of Pollution) Act, 1981 as amended.

This consent is being issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

SINGH ANKIT Digitally signed by SINGH ANKIT Date: 2021.12.22 12:54:15 +05'30'

Regional Officer
UPPCB, Muzaffarnagar

Enclosed : As above
(condition of consent):

Copy to:

Regional Officer
UPPCB, Muzaffarnagar

U.P. Pollution Control Board

Dated : 22/12/2021

CONDITIONS OF CONSENT

1. This consent is valid only for the approved production capacity of Bricks 8 Lac Nos. per round .
2. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/ process /fuel/ plant machinery failing which consent would be deemed void.

3(a) The maximum rate of emission of flue gas should not be more than the emission norms for the stacks.

3(b) Air Pollution Source Details.

Air Pollution Source Details					
S.No	**Air Polution Source**	**Type of Fuel**	**Stack No.**	**Parameters**	**Height**
1	Brick Kiln	Coal.	01	Particulate Matter	30 M. High from ground level

3(c) The emissions by various stacks into the environment should be as per the norms of the Board .

Emission Quality Details Detail			
S.No	**Stack No**	**Parameter**	**Standard**

4. Quantity of other pollutants should also be as per the norms prescribed by the Board/MOEF & CC/or otherwise mandatory .
5. The equipment for air pollution control system and monitoring ,as proposed by the industry and approved by the Board should be installed in their premises itself .
6. The modification or installation in the existing pollution control equipments should be done only by prior approval of Board .
7. The operation of air pollution control system and maintenance be done in such a way that the quantity of pollutants should be in accordance with the standards prescribed by the Board/MoEF & CC/or otherwise mandatory .
8. Unit should do provisions for fugitive emissions chimney/stack as per the norms of the Board/MOEF & CC/or otherwise mandatory .
9. The unit should submit the stack emissions monitoring report within one month from issuance of consent order along with the point wise compliance report of the consent order . Further quarterly monitering report should be submitted .

The Unit will file the renewal application at least 2 months prior to the expiry of this Order.

Specific Conditions:

SINGH ANKIT Digitally signed by SINGH ANKIT Date: 2021.12.22 12:54:43 +05'30'

1. This Consent to Operate is being granted to M/s. Shiv Brick Field, Vill. Asadpur Jidana, Block Kandhla, District Shamli for Rectangular Shaped Trench with ZIG-ZAG Formation along with ID fan.
2. The Brick kiln shall comply with all conditions mandated in Environmental Clearance issued by SEIAA/DEIAA for purpose of mining.
3. Entire moving area around the Brick kiln should be paved with the bricks to minimize the fugitive dust emission from Brick kiln operations.
4. Brick kiln shall install/maintain flue gas monitoring platform/port hole/ladder attached to stack as per CPCB Emission Regulation Part-III and give first compliance report within 30 days of issue of this letter.
5. Brick kiln shall submit quarterly monitoring report of stack and ambient air quality from a certified/approved Laboratory.
6. Brick kiln shall use good quality pulverized coal only for firing. This consent shall be deemed void if any unauthorized/restricted fuel like rubber/scrap/tyre etc. is used.
7. Brick kiln shall ensure adequate plantation of trees/shrubs and maintain green belt along with proper system for water sprinkling within its premises.
8. Kiln shall comply with Solid Waste Management Rules, 2016 and Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.
9. Kiln shall submit Environmental Statement in prescribed form as per Rule 14 of Environment (Protection) Act, 1986.
10. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Brick kiln shall obtain prior approval before making any modification in product/process/fuel failing which consent would be deemed void.
11. Brick kiln shall not operate D.G set without acoustic enclosure.
12. Kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court, National Green Tribunal, Environment Pollution (Prevention and Control) Authority, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time, including directions issued under Graded Response Action Plan (GRAP) for National Capital Region.
13. Brick kiln shall provide permission to this office issued by Zila Panchayat and Mining Department within three month from date of issue of this consent to operate.
14. Brick Kiln shall be operated in such a manner that ambient air quality should not be adversely affected.
15. Brick Kiln shall be used 20% bio bricket as fuel availability. H.O. Letter No.-H14586/C-6/NGT/Gental-208/18 Date 05-01-2018.
16. Ash content should be used for low lying land filling in a scientific manner.
17. The brick kiln should regularly operate and maintain Air Pollution Control System (APCS) so that it meet stipulated emission standard.
18. The Brick Kiln fine dust not to accumulate all around the Brick Kilns.
19. The industry must be submit the balance consent fee, if fee slab changes as per balance sheet in subsequent years.
20. This consent is subject to the order passed by Hon'ble NGT in OA 1016/2019 (Utkarsh Panwar Vs. Central Pollution Control Board and Others) dated 17.02.2021 regarding operation of Brick Kilns.
21. The validity of this consent to operate is subject to the complete conversion of FCBTK to Induced Draught/Natural Draught Zig-zag setting (Rectangular in shape) failing which this consent shall be deemed as null and void.
22. Recommendation against the brick kiln for imposition of Environmental Compensation of Rs. 4,18,750/- to H.O. Lucknow by this office. If the Environmental Compensation imposed by the H.O. Lucknow, Brick Kiln or its owner have to pay within stipulated time.

Issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board .

SINGH ANKIT

Digitally signed by SINGH ANKIT
Date: 2021.12.22 12:54:57 +05'30'

Regional Officer
UPPCB, Muzaffarnagar

Annexure-17

494

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

CONSENT ORDER

Ref No. - 142333/UPPCB/Circle3(UPPCBHO)/CTO/water/ SHAMLI/2021 **Dated : 22/12/2021**

To ,

Shri VINOD KUMAR
M/s SHIV BRICK FIELD
Vill. Asadpur Jidana, Block Kandhla, Shamli ,SHAMLI,247775
SHAMLI

Sub : **Consent under Section 25/26 of The Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (as amended) for discharge of effluent to M/s. SHIV BRICK FIELD**

Reference Application No :14118456 **Dated :22/12/2021**

1. For disposal of effluent into water body or drain or land under The Water (Prevention and control of Pollution) Act,1974 as amended (here in after referred as the act) M/s. SHIV BRICK FIELD is hereby authorized by the board for discharge of their industrial effluent generated through ETP for irrigation/river through drain and disposal of domestic effluent through septic tant/soak pit subject to general and special conditions mentioned in the annexure ,in refrence to their foresaid application .
2. This consent is valid for the period from 21/11/2021 to 31/07/2025 .
3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 27(2) of the Water (Previntion and Controt of Pollution) Act, 1974 as amended .

This consent is being issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

SINGH ANKIT Digitally signed by SINGH ANKIT Date: 2021.12.22 12:53:21 +05'30'

Regional Officer
UPPCB, Muzaffarnagar

Enclosed : As above
(condition of consent):

Copy to:

Regional Officer
UPPCB, Muzaffarnagar

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, LUCKNOW

Annexure to Consent issued to M/s.SHIV BRICK FIELD vide

Consent Order No. 14118456/ Water Dated : 22/12/2021

CONDITIONS OF CONSENT

1. This consent is valid only for the approved production capacity of Bricks 8 Lac Nos. per round .
2. The quantity of maximum daily effluent discharge should not be more than the following :

Effluent Discharge Details			
S.No	**Kind of Effulant**	**Maximum daily discharge,KL/day**	**Treatment facility and discharge point**
1	Domestic	1.5	Septic Tank

3. Arrangement should be made for collection of water used in process and domestic effluent separately in closed water supply system. The treated domestic and industrial effluent if discharged outside the premises, if meets at the end of final discharge point, arrangement should be made for measurement of effluent and for collecting its sample. Except the effluent informed in the application for consent no other effluent should enter in the said arrangements for collection of effluent. It should also be ensured that domestic effluent should not be discharged in storm water drain .

4(a) The domestic effluent should be treated in treatment plant so that the should be in conformity with the following norms dated treated effluent .

Domestic Effulant		
S.No	**Parameter**	**Standard**

4(b). The industrial effluent should be treated in treatment plant so that the treated effluent should be in conformity with the following norms. .

Industrial Effulant		
S.No	**Parameter**	**Standard**
1	Quantity of Discharge	0.0

5. Effluent generated in all the processes, bleed water, cooling effluent and the effluent generated from washing of floor and equipments etc should be treated before its disposal with treated industrial effluent so that it should be according to the norms prescribed under The Environment (Protection) Act,1986 or otherwise mandatory .
6. The other pollutant for which norms have not been prescribed, the same should not be more than the norms prescribed for the water used in manufacturing process of the industry .
7. The method for collecting industrial and domestic effluent and its analysis should be as per legal Indian standards and its subsequent amendments/standards prescribed under The Environment (Protection) Act, 1986.
8. The treated domestic and industrial effluent be mixed (as per the provisions of Condition No. 2) and disposed of on one disposal point. This common effluent disposal point should have arrangement for flow meter/V Notch for measuring effluent and its log book be maintained .
9. The Unit will file the renewal application at least 2 months prior to the expiry of this Order.

SINGH ANKIT Digitally signed by SINGH ANKIT Date: 2021.12.22 12:53:43 +05'30'

Specific Conditions:

1. This Consent to Operate is being granted to M/s. Shiv Brick Field, Vill. Asadpur Jidana, Block Kandhla, District Shamli for Rectangular Shaped Trench with ZIG-ZAG Formation along with ID fan.
2. This consent is valid for only domestic discharge through septic tank/soak pit.
3. Unit should comply the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as Amended.
4. The Brick kiln shall comply with all conditions mandated in Environmental Clearance issued by SEIAA/DEIAA for purpose of mining.
5. Brick kiln shall use good quality pulverized coal only for firing. This consent shall be deemed void if any unauthorized/restricted fuel like rubber/scrap/tyre etc. is used.
6. Brick kiln shall ensure adequate plantation of trees/shrubs and maintain green belt along with proper system for water sprinkling within its premises.
7. Kiln shall comply with Solid Waste Management Rules, 2016 and Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.
8. Kiln shall submit Environmental Statement in prescribed form as per Rule 14 of Environment (Protection) Act, 1986.
9. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Brick kiln shall obtain prior approval before making any modification in product/process/fuel failing which consent would be deemed void.
10. Kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court, National Green Tribunal, Environment Pollution (Prevention and Control) Authority, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time, including directions issued under Graded Response Action Plan (GRAP) for National Capital Region.
11. Brick kiln shall provide permission to this office issued by Zila Panchayat and Mining Department within three month from date of issue of this consent to operate.
12. Brick Kiln shall be operated in such a manner that ambient air quality should not be adversely affected.
13. Brick Kiln shall be used 20% bio bricket as fuel availability. H.O. Letter No.-H14586/C-6/NGT/Gental-208/18 Date 05-01-2018.
14. Brick Kiln must be submit the balance consent fee, if fee slab changes as per balance sheet in subsequent years.
15. This consent is subject to the order passed by Hon'ble NGT in OA 1016/2019 (Utkarsh Panwar Vs. Central Pollution Control Board and Others) dated 17.02.2021 regarding operation of Brick Kilns.
16. The validity of this consent to operate is subject to the complete conversion of FCBTK to Induced Draught/Natural Draught Zig-zag setting (Rectangular in shape) failing which this consent shall be deemed as null and void.
17. Recommendation against the brick kiln for imposition of Environmental Compensation of Rs. 4,18,750/- to H.O. Lucknow by this office. If the Environmental Compensation imposed by the H.O. Lucknow, Brick Kiln or its owner have to pay within stipulated time.

Issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board .

SINGH ANKIT

Digitally signed by SINGH ANKIT
Date: 2021.12.22 12:53:58 +05'30'

Regional Officer
UPPCB, Muzaffarnagar

Annexure-12

मै० [illegible] फ्रेंड्स (पूर्व नाम मै० चौधरी लिंगम फ्रेंड्स) ग्राम अमरपुर जिला [illegible] जनपद [illegible] के विरुद्ध [illegible] के पत्रांक संख्या M80512/सी-3/[illegible]-619/बन्दी आदेश/[illegible]/2022 दिनांक - 31.8.22 के द्वारा बन्दी आदेश पारित किये गये जिसके क्रम में इस [illegible] बन्दी [illegible] का निरीक्षण दिनांक 15-9-22 को किया गया इस [illegible] में संचालन आदेश के अनुपालन में बन्द पाया गया। [illegible] [illegible] रखने [illegible] [illegible] [illegible] गया। [illegible] को [illegible] [illegible] दिया गया।

इस [illegible] के [illegible] के समय इस [illegible] [illegible] श्री विनोद कुमार (पार्टनर) नि० ग्राम [illegible] उपस्थित रहे।

15-9-22
सर्वेश कुमार
[illegible] सहायक

15.09.22
[illegible]
[illegible] अधि०

विनोद कुमार (पार्टनर)
15/9/2022
9897759206

[illegible] लिंगम फ्रेंड्स
अमरपुर जिला

सीलिंग के दौरान लिये गये फोटोग्राफ (शिव ब्रिक फील्ड)

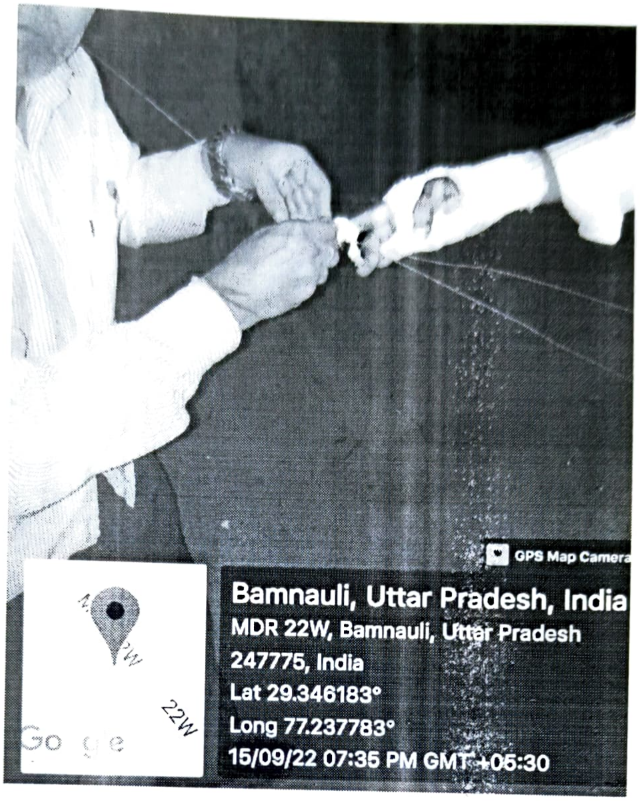

Annexure-13

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

सदर्भ सं० / Ref No. 278/C/Brick Shamli/2022

दिनांक / Dated 10-6-2022

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषयः–ईंट भट्टा मै0 शिव ब्रिक फील्ड पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम असदपुर जिडाना, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या 18213/2021 एनसीआर ब्रिक किल्न एसोसिएशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योज़ित ओ0ए0 संख्या 329/2022 प्रदीप कुमार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एंड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 11.02.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 02.06.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है।

निरीक्षण आख्या में दिये गये तथ्यों के आधार पर ईंट भट्टा मै0 शिव ब्रिक फील्ड पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम असदपुर जिडाना, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली के विरूद्ध रू0 6,87,500/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
(A.E.E)

ईंट भट्टा मै0 शिव ब्रिक फील्ड पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम असदपुर जिडाना, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली की निरीक्षण आख्या।

मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योंजित सिविल अपील संख्या 18213/2021 एनसीआर ब्रिक किल्न एसोसिएशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.04.2022 के अनुपालन एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 329/2022 प्रदीप कुमार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एंड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 11.02.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 02.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री विनोद कुमार उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय ईंट भट्टा उत्पादनरत् पाया गया। निरीक्षण एवं वार्ता से निम्न तथ्य प्रकाश में आंये :–

1– कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्टा वर्ष 2010 से ग्राम असदपुर जिडाना, ब्लाक कांधला जिला शामली में स्थापित एवं संचालित है। ईंट भट्टे के संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सशर्त जल एवं वायु सहमति निर्गत है, जिसकी वैधता दिनांक 31.07.2025 तक है।

2– ईंट भट्टे में कच्ची ईंटों का प्रयोग कर लाल ईंट लगभग 8 लाख नग प्रति चक्कर की क्षमता पर उत्पादन किया जाता है।

3– ईंट भट्टा आयताकार शेप इन्ड्यूज्ड ड्राफ्ट तकनीक पर निर्मित है। जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु आई.डी. फैन एवं भूतल से लगभग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। निरीक्षण के समय आई.डी. फैन संचालित पाया गया।

4– ईंट भट्टे में ईंधन के रूप में लकड़ी एवं कोयला का प्रयोग किया जाता पाया गया।

5– मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या 18213/2021 एनसीआर ब्रिक किल्न एसोसिएशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.04.2022 के विपरीत संचालित किया जा रहा है।

6– उक्त ईंट भट्टा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा संचालन हेतु अनुमति प्रदान किये गये ईंट भट्टों की सूची में सम्मिलित नहीं होने के उपरान्त भी ईट भट्ठा संचालित पाये जाने पर गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के आई0डी0 फैन सील कर ईट भट्ठे पर पानी डलवाकर भटठे का संचालन बन्द करा दिया गया। बन्दी की अनुपालन आख्या संलग्न है।

7– निरीक्षण के समय उपस्थित ईंट भट्टा प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्टे का संचालन दिनांक 09.04.2022 से प्रारम्भ किया गया है, ईट भट्ठे का संचालन मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् ईंट भट्टे के विरूद्ध संचालन की दिनांक 09.04.2022 से वर्तमान निरीक्षण दिनांक 02.06.2022 तक कुल 55 दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरूपित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :–

EC = PIxNxRxSxLF
= 50 x 55 x 500 x 0.5 x 1
= Rs.6,87,500/-

क्रमशः ...2....

अतः उपरोक्त गणना के आधार पर ईंट भट्टा मै0 शिव ब्रिक फील्ड पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम असदपुर जिडाना, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली के विरूद्ध रू0 6,87,500/— पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

10-6-22
(सर्वेश कुमार)
प्रयो0सहा0

10.06.22
(इमरान अली)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-14

Ko
27-9-22

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H81923 / सी–3 / वायु–619 / मु0नगर / 2022 दिनांक 16/09/22

सेवा में,

पंजीकृत

मै0 शिव ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड),
ग्राम असदपुर जिडाना, ब्लॉक कांधला,
जनपद शामली।

विषयः– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ईट भट्ठा मै0 शिव ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम असदपुर जिडाना, ब्लॉक कांधला, शामली का मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या 18213 / 2021 एनसीआर ब्रिक किल्न एसोसिएशन बनाम् केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 08.04.2022 के अनुपालन एवं मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 329 / 2022 प्रदीप कुमार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनॉक 11.05.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा संदर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 02.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि ईट भट्ठा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या 18213 / 2021 एनसीआर ब्रिक किल्न एसोसिएशन बनाम् केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 08.04.2022 के विपरीत संचालित किया जा रहा है। उक्त ईट भट्ठा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा संचालन हेतु अनुमति प्रदान किये गये ईट भट्ठों की सूची में सम्मिलित नहीं होने के उपरान्त भी ईट भट्ठा संचालित किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनॉक 30.08.2022 के अनुसार ईट भट्ठे को दिनॉक 31.07.2025 तक निर्गत सहमति जल/वायु को पत्र दिनॉक 29.08.2022 द्वारा रिवोक कर दी गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए ईट भट्ठे के विरूद्ध संचालन दिनॉक 09.04.2022 से वर्तमान निरीक्षण दिनॉक 02.06.2022 तक कुल 55 दिवसों हेतु रू0–687500 / – की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों एवं क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में सी0पी0सी0बी0 द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलाजी के अनुसार सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त ईट भट्ठा मै0 शिव ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम असदपुर जिडाना, ब्लॉक कांधला, शामली पर संचालन दिनॉक 09.04.2022 से वर्तमान निरीक्षण दिनॉक 02.06.2022 तक तक की अवधि के मध्य अर्थात कुल 55 दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू0--12,500 / – प्रतिदिन की दर से कुल रू0–687500 / – की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, वैभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड– UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करे अन्यथा की दशा में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की भू–राजस्व की भॉति वसूली कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित समयावधि में जमा करने का साक्ष्य इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

AEE(I)
27.9.22

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्ठे पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट www.uppcb.com
T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

Annexure-15

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

सन्दर्भ सं० / Ref. No. 1674/C/Brick/MZR/2022

दिनांक / Dated 14-11-2022

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– ईट भट्टा मै० शिव ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम मै० चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम असदपुर जिडाना, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मा० एनजीटी में योजित ओ०ए० संख्या 329/2022 प्रदीप कुमार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 02.06.2022 को किये गये निरीक्षण के समय ईंट भट्टा मै० शिव ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम मै० चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम असदपुर जिडाना, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 18213/2021 एनसीआर ब्रिक किल्न एसोसिएशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.04.2022 के विपरीत संचालित किया जाता पाया गया था। तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय की संस्तुति के आधार पर ईंट भट्टे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच81923/सी–3/वायु–619/मु०नगर/2022 दिनांक 16.09.2022 द्वारा रूपये 6,87,500/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी। क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखानुसार ईंट भट्टा द्वारा वर्तमान तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा नहीं की गयी है। प्रकरण मा० एनजीटी में विचाराधीन है एवं वाद में अग्रिम तिथि 28.11.2022 नियत है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में मा० एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2022 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु ईंट भट्टा मै० शिव ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम मै० चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम असदपुर जिडाना, ब्लॉक कांधला, जनपद शामली के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 6,87,500/– को भू–राजस्व की भांति वसूल किये जाने हेतु जिलाधिकारी शामली को पत्र प्रेषित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-16

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्याः H 84477/सी–3/ वायु 619 /22   दिनांकः 22/11/2022

पंजीकृत

सेवा में,

जिलाधिकारी,
शामली।

विषयः ईंट भट्ठा मैसर्स शिव ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम मैसर्स चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–असदपुर जिडाना, ब्लॉक कांधला, जनपद–शामली के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित अर्थदण्ड को भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूली किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संबंध में अवगत कराना है कि मा. एन.जी.टी. में योजित ओ.ए. संख्या–329/2022 प्रदीप कुमार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–11.05.2022 द्वारा नियम विरुद्ध जनपद–शामली में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के निर्देश पारित किये गये थे। ईंट भट्ठे का पूर्व में क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–02.06.2022 को निरीक्षण किया गया था। उक्त निरीक्षण के समय संदर्भित ईंट भट्ठा मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा संचालन हेतु अनुमति प्रदान किये गये ईंट भट्ठों की सूची में सम्मिलित नहीं होने के उपरान्त तथा मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या–18213/2021 एन.सी.आर. ब्रिक किलन एसोसिएशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक–08.04.2022 के विपरीत संचालन किया जाता पाया गया था। तदोपरान्त ईंट भट्ठे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31–ए के अन्तर्गत बोर्ड के पत्र संख्या–एच 80512/सी–3/वायु–619/बंदी आदेश/मु.नगर/2022, दिनांक–31.08.2022 द्वारा बंदी आदेश जारी किया गया था एवं मा. एन.जी.टी. द्वारा ओ.ए. संख्या–329/2022 प्रदीप कुमार बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–11.05.2022 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र संख्या–एच 81923/सी–3/वायु– 619/मु.नगर/2022, दिनांक–16.09.2022 द्वारा उल्लघनकारी 55 दिवसों हेतु रुपये–6,87,500/– का अर्थदण्ड पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया गया था (छायाप्रति संलग्न)। ईंट भट्ठे द्वारा उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि अभिलेखानुसार बोर्ड में जमा नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संदर्भित ईंट भट्ठे के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित अर्थदण्ड रुपये–6,87,500/– (रुपये छः लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) की वसूली भू–राजस्व के बकाये की भांति कराते हुए उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, वैभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या–701502010002104, आई.एफ.एस.सी. कोड–**UBIN0570150** में जमा कराकर बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

संलग्नकः यथोपरि।

प्रतिलिपिः
क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, शामली से समन्वय स्थापित कर वसूली संबंधी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव